न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 124 / 2019 (2019 / 00386)

श्री पुत्री नारायण पत्नि छोटू जाति दरोगा उम्र 70 वर्ष निवासी श्रीराम कॉलोनी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान ––––––प्रार्थी

बनाम

1. महावीर पुत्र नारायण जाति दरोगा(बालिग)
2. बल्लू पत्नि प्रहलाद जाति दरोगा (बालिग)
3. राजू पुत्र प्रहलाद जाति दरोगा (बालिग)
4. हेमराज पुत्र प्रहलाद जाति दरोगा(बालिग)
5. मोनू पुत्र प्रहलाद जाति दरोगा (बालिग)
6. लालाराम पुत्र प्रहलाद जाति दरोगा (बालिग)
7. [redacted] पुत्र नारायण जाति दरोगा (बालिग)

निवासीगण केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय केकड़ी
9. मैसर्स श्री नाथ माईन्स एण्ड मिनरल्स केकड़ी जरिये पार्टनरर्स
   9(1)रामअवतार डोडिया पुत्र रामप्रताप डोडीया निवासी केकड़ी
   (2)बालकिशन साहू पुत्र गजानन्द साहू जाति तेली निवासी केकड़ी
   (3)बिरदी चंद डाडीया पुत्र रामप्रताप डोडीया निवासी केकड़ी
   (4)निलेश कर्नावट पुत्र सुशील कर्नावट निवासी केकड़ी

––अप्रार्थीगण

अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– श्री नवल पारीक वकील –प्रार्थीयां
श्री ए0 एस0 गौरी वकील– अप्रार्थीगण संख्या 1 से 07
श्री बद्री विशाल दाधीच – अप्रार्थी संख्या 9(1 से 4)

आदेश

दिनांक 02.09.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि कस्बा केकड़ी की निम्नवर्णि आराजीयात जमाबंदी संवत् 2061–2064 मे स्थित हैः–

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नंबर	रकबा (है0)	किस्म
1314–1311	4813	0.08	बारानी 2
	4814	0.02	गै.मु.चाह
	4817	0.66	चाही 2
	4818	0.15	चाही 2
	4819	0.37	चाही 2
	4820	2.61	बा..2
	4821	0.08	गै.मु.पाल
	4822	0.08	गै.मु.पाल
	4828	1.15	बा.2
	4829	[illegible]	गै.मु.पाल
	4946	[illegible]	गै.मु.पाल
	4947	[illegible]	गै.मु.पाल
	4948	0.76	गै.मु.पाल
	4949	[illegible]	बा.1
	4950	0.04	गै.मु.पाल

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.13 12:56:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वर्णित आराजीयात प्रार्थीयों की पुश्तैनी आराजीयात है जो प्रार्थीयां के दादा श्री बालू पुत्र रोड़ा जाति दरोगा के नाम राजस्व रेकार्ड 1349 फसली मे बतौर खातेदार के दर्ज है तथा उनकी मृत्यु के उपरांत बालू पुत्र रोड़ा के एक मात्र विधिक वारिस नारायण के नाम बतौर खातेदारी मे आराजीयात राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की गई। नारायण पुत्र बालू जाति दरोगा प्रार्थीयां का पिता है तथा प्रार्थीयां के पिता की मृत्यु हो चुकी है,तथा उनकी मृत्यु के उपरांत प्रार्थीयां व अप्रार्थी संख्या 1 व प्रहलाद व अप्रार्थी संख्या 07 उनके विधिक वारिसान है । प्रहलाद की मृत्यु हो चुकी है,तथा अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 06 मृतक प्रहलाद के विधिक वारिस है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात प्रार्थीयां की पुश्तैनी आराजीयात है तथा प्रार्थीयां का पुश्तैनी आराजीयात मे जन्म से ही हक अधिकार हिस्सा निहित है तथा प्रार्थीयां के पिता की मृत्यु के उपरांत प्रार्थीयां अपने हिस्से के 1/4 हिस्से को काश्त कर उपज प्राप्त करती चली आ रही है अप्रार्थीगण का ,प्रार्थीयां के 1/4 हिस्से मे किसी प्रकार का हक अधिकार हिस्सा नहीं है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीयां के पिता की मृत्यु के उपरांत राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर नामान्तरकरण स्वयं के नाम दर्ज करवा लिया है,जबकि स्वर्गीय नारायण की जायंदा पुत्री का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नहीं किया है, जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण दिनांक 06.10.2017 को प्रार्थीयां के हक हिस्से के 1/4 पर अप्रार्थीगण एकराय होकर आये और प्रार्थीयां को आराजीयात से जबरन बेदखल करने की नियत से लडाई झगडा करने लगे और प्रार्थीयां को धमकी दी कि आराजीयात राजस्व रेकार्ड मे हमारे नाम दर्ज है हम उक्त आराजीयात को अन्य दीगर व्यक्ति को बेचान कर तुझे बेदखल करेगे तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड सकती हो अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया को धमकी देने के पश्चात राजस्व रिकार्ड की जानकारी करी तो जानकारी मे आया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे प्रार्थीयां का नाम बतौर विरासत के नामान्तरकरण मे दर्ज नहीं किया गया है तथा उपरोक्त आराजीयात गलत रूप से अप्रार्थीगण के नाम हो जाने से अप्रार्थीगण प्रार्थीयां को आराजीयात से बेदखल कर आराजीयात को बेचान करने पर आमादा है तथा आराजीयात को बेचान करने की आयेदिन धमकिया दे रहे है इसलिए यह वाद प्रस्तुत करना लाजमी आया है। अप्रार्थीगण अपने नाजायज उद्देश्य मे कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीयां अपनी पुश्तैनी आराजीयात से बेदखल हो जायेगी। जिससे प्रार्थीयां को अनेकानेक कठिनाईयां का सामना करना पड़ेगा। प्रार्थीयां का प्राईमाफैसाई केस है सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीयां के पक्ष मे है। अप्रार्थीगण उनके मुख्त्यार,नोकर चाकर हाली सिरी आदि को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पावंद किया जावे कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात को किसी अन्य दीगर व्यक्ति को रहन बेचान बक्षीस इत्यादि नहीं करे और ना ही प्रार्थीयां के कब्जे स्वामित्व मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे। यानि की वाद वर्णित आराजीयात के बाबत् राजस्व रिकार्ड की स्थिति को यथावत् बनायी रखी जावे। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ जिसमे प्रार्थीयां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित कथनो का खण्डन प्रस्तुत किया गया अतिरिक्त कथन मे बताया कि प्रार्थीयां द्वारा दिनांक 28.10.2017 को प्रार्थना पत्र संख्या 136 / 2017 मान्य हाजा मे बउनवान भूरी बनाम महावीर प्रस्तुत किया। उस प्रार्थना पत्र मे अंतरिम स्थगन आदेश जारी किये गये जिसमे माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी द्वारा मौका व रेकार्ड की आगामी पेशी तक यथास्थिति बनाये रखने व स्थगन आदेश को जर्ये रजिस्टर्ड ए०डी० से तलबी ना करने पर स्थगन आदेश स्वतः निरस्त माना जावे कि तहरीर अंकित की गई है। जिसमे आगामी पेशी दिनांक 10.01.2018 को पेशी मुकर्रर की गई तथा उक्त विवादित आराजीयात बाबत् मे प्रार्थीयाँ द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व मे ही वाद व प्रार्थना पत्र विचाराधीन होने के बावजूद पुनः एक प्रार्थना पत्र व वादपत्र दिनांक 23.01.2019 को मान्य हाजा मे प्रार्थना पत्र संख्या 13 / 2019 बउनवान भूरी बनाम महावीर वगैराह प्रस्तुत किया है जिसमे उक्त प्रार्थना पत्र मे भी मान्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी द्वारा अन्तरिम आदेश जारी कर दिया गया व आगामी पेशी दिनांक 11.02.2019 को मुकर्रर की गई। इस प्रकार प्रार्थीयाँ द्वारा समान पक्षकार,समान विवादित आराजीयात व समान विषय वस्तु 0.2019 को लेकर प्रार्थीयां द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.13 12:56:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
प्रकरण संख्या 124/2019(2019/00386)
भूरी बनाम महावीर वगैरह
अंतर्गत धारा 212 आर.टी.ए..
दिनांक 02.09.2021

...ाई निषेधाज्ञा के लिए दिनांक 28.10.2017 व दिनांक 23.01.2019 समान विवाद के लिए दो प्रार्थना पत्र ...थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व मे ही स्थगन आदेश जारी ...र दिये गये थे। फिर भी प्रार्थीयां द्वारा न्यायालय को गुमालते मे रखकर समान विवाद हेतु उक्त ...वादित निम्न वर्णित आराजीयात मे माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम स्थगन जारी करवा लिये गये जो ...सिविल प्रकिया संहिता की धारा 11 के अनुसार पूर्व न्याय के सिद्धान्त के आधार पर खारिज किये ...ाने योग्य है क्योकि उक्त विवाद विषयवस्तु के संबंध मे पूर्व मे ही निर्णित किया जा चुका है। इस उक्त ...ार्थना पत्र व वाद खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र वेग अस्पष्ट व अनिश्चितता का होने से ...खारिज होने योग्य है। प्रार्थीयां को इस प्रकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार व ...लोकस स्टण्डाई नही है। प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। वाकातन व कानूनन भी ...पत्र खारिज किये जाने योग्य है। जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

आदेश सुनाने से पूर्व श्री सूर्यकान्त दाधीच एडवोकेट के जरिये प्रार्थीगण मैसर्स श्रीनाथ माईन्स एण्ड मिनरल्स केकड़ी जरिये पार्टनर प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया। जिस पर वकील प्रार्थीयां एवं अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। प्रार्थीया के अभिभाषक द्वारा पक्षकार बनाये जाने की आपत्ति की गई। अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। न्यायालय द्वारा आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। प्रार्थीयां के अधिवक्ता द्वारा संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 09 की और से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति वकील प्रार्थीयां को दी गई। तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 पर पुनः बहस सुनी गई।

प्रार्थीयां के लायक वकील श्री नवल किशौर पारीक ने अपनी बहस मे बताया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पुश्तैनी है। यह आराजी पूर्व मे बालू की थी। बालू की मृत्यु के बाद यह आराजी जरिये विरासत नारायण पि0 बालू के खाते मे दर्ज हुई है। प्रार्थीयां नारायण की पुत्री है अतः प्रार्थीयां का जन्म से इस आराजी मे हक अधिकार है। अपने कथन के समर्थन मे ...ानी/टीए/4311/2012/जोधपुर संगत सिंह व अन्य बनाम जब्बर सिंह व अन्य निर्णय दिनांक 29.01.2020 प्रस्तुत की जिसका ससम्मान अध्ययन किया गया। नगर पालिका केकड़ी से जारी सजरा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया।

अप्रार्थीगण के लायक अधिवक्ता श्री अब्दुल सलीम गौरी ने अपने वितर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि प्रार्थीयां ने कोई सजरा पेश नही किया है। आराजी पैतृक होने का कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है। प्रार्थीयां भूरी नारायण की बेटी हो यह साबित नही किया है। रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश प्रसारित नहीं किया जा सकता है। नारायण के फौत होने पर नामान्तरकरण नियमानुसार खोला गया है। प्रार्थीयां अजनबी है उसका इस आराजी से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। इस प्रकरण मे प्रार्थीयां ने दो अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये है जो चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने खारिज किया जावे। अपने कथन के समर्थन मे विधानसभा क्षैत्र केकडी की नामावली 1998 भागसंख्या 112 प्रस्तुत की है जिसमे प्रार्थीयां का नाम अंकित नहीं होना जाहिर किया।प्रहलाद पि0नारायण,महावीर पि0 नारायण का राशन कार्ड प्रस्तुत किया है जिसमे भी प्रार्थीयां का नाम होना जाहिर नहीं है। न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2014(1) श्यामकौर व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य पी.59 11/12.06.14, आर0वी0जे0 2018 499 रवि माहेश्वरी बनाम परमेश्वरी देवी,आरआरटी प.69 11/12.06.12कामिल व अन्य बनाम लालू, आरआरटी पी 63 11/12.12.2014 गो... आरआरटी पी.7611/12.06. 2011 मूलचंद बनाम हनुमान प्रसाद व अन्य प्रस्तुत किया ...ान अध्ययन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.13 12:36:20 IST
Reason: SelfAttested

...श्री ... दाधीच एडवोकेट ने अपनी बहस मे बताया कि दिनांक 03.05.2020 ... 1.34 हे0 मे से 1.34 हे0 हमारे द्वारा कय कर ली है,हमने जमाबंदी देखकर ... जमाबंदी मे स्थगन आदेश का अंकन नहीं था, अप्रार्थी संख्या 09 सद्भाविक केता है तथा आराजी कय ... का प्रतिफल रिकार्डेड खातेदार अप्रार्थी संख्या 01 से 07 को अदा कर विकय पत्र नियमानुसार पंजीकृत करवाया है। प्रार्थीयां- अप्रार्थीगण की बहिन नहीं है। यदि बहिन होती तो अप्रार्थीगण प्रार्थीयां को बहिन मानने से हिन्दु कस्टम के आधार पर

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
प्रकरण संख्या 124 / 2019(2019 / 00386)
भूरी बनाम महावीर वगैराह
अंतर्गत धारा 212 आर.टी.ए..
दिनांक 02.09.2021

…ा नहीं कर सकते थे, प्रार्थीयां –अप्रार्थीगण संख्या 01–07 की बहिन–भुआ होती,तो अप्रार्थीगण बहिन भुआ मानने से मना नही करते। प्रार्थीया द्वारा जो अध्यक्ष नगर पालिका केकड़ी द्वारा जारी सजरा …ाण पत्र प्रस्तुत किया है। जो कानूनी नहीं है। पारिवारिक सजारा प्रमाण पत्र पर अधिशाषी अधिकारी …हस्ताक्षर नहीं है। नगर पालिका केकड़ी को पारिवारिक सजरा प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार …हीं है। यह पारिवारिक सजरा प्रमाण पत्र अध्यक्ष नगर पालिका केकड़ी द्वारा बिना अधिकारिता के जारी …किया गया है, जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रार्थीयां के लायक अभिभाषक ने प्रति उत्तर मे …ताया कि आज की तारीख मे एक ही दावा व एक ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विचाराधीन …अदालत है। प्रार्थीयां नारायण की पुत्री है या नहीं यह मूल वाद मे वाद शहादत तय होगा। आज की … प्रश्न यह है कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पर यथास्थिति के आदेश प्रसारित किये जाना न्यायसंगत है। प्रार्थीयां का प्राईमाफैसाई केस है सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष मे है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि की वे प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात पर यथास्थिति बनाये रखे। राजस्व रेकार्ड मे कोई परिवर्तन नही करे। अप्रार्थी संख्या 09 द्वारा स्थगन आदेश के बावजूद क्रय की है जिसका नामान्तरकरण नहीं किया जावे। अप्रार्थीगण को प्रार्थीयां के कब्जे स्वामित्व मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करने हेतु अप्रार्थीगण 1 लगायत 09 को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना फरमावे।

वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अवलोकन किया गया। न्यायालय को फिलहाल यह देखना कि प्रार्थीयां अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त करने की हकदार है अथवा नही ? प्रार्थीयां द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु तीनो आवश्यक बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन,अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु अपने पक्ष मे साबित किये है… साथ ही अप्रार्थी संख्या 09 द्वारा विक्रय पत्र पंजीयन अधिकारी के कार्यालय मे नियमानुसार स्टाम्प ड्युटी … पंजीयन करवाया है। जमाबंदी देखकर आराजी क्रय की है। प्रार्थीया का नाम जमाबंदी मे अंकि… नहीं है और न ही किसी न्यायालय से स्थगन आदेश होने का नोट अंकित था। अप्रार्थी संख्या 09 द्वा… करवाया गया विक्रय पत्र आज दिनांक तक किसी भी न्यायालय से खारिज भी नहीं हुआ है। अप्रार्थ… संख्या 09 सद्भाविक क्रेता है। अतः विक्रय पत्र के आधार पर नामा0 किया जाना न्याय संगत है। वैसे … नामान्तरण की कार्यवाही को फिसकल प्रोसेडिग माना गया है। अतः अप्रार्थी संख्या 09 के पक्ष मे विक… पत्र के आधार पर नामा0 की कार्यवाही नियमानुसार की जावे। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी इन गीडिय… है, तथा भविष्य मे अनावश्यक विवाद उत्पन्न होने से रोकने की दृष्टिगत रखते हुए, अप्रार्थी संख्या 01 … 07 तथा नियमानुसार विक्रय पत्र के नामान्तरण पश्चात अप्रार्थी संख्या 9 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञ… पाबंद किया जाता है कि वे मूल वाद के निस्तारण त… …रण मे वर्णित आराजी का अब अ… …ा मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बना… आगे अन्य व्यक्ति को विक्रय,हस्तान्तरण… …हक अधिकार का निर्णय मूल वा… रखे। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का… …करे। मे बाद शहादत तय होगा। खर्चा फरिकेन अपना अपना … …ा गया।
आदेश खुले न्यायालय मे सु…

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.13 12:56:20 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner